यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य अभियंता, पी°एम°जी°एस°वाई°, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून** के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य अभियंता, पी°एम°जी°एस°वाई°, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून** के माह 11/2012 से 02/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री संदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 08/03/2021 से 18/3/2021 तक श्री वी° पी° सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा थी इस में माह 11/2012 से 02/2021 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i)इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः पी°एम°जी°एस°वाई° योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य/अनुरक्षण के कार्य सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र,पूर्ण गढ़वाल क्षेत्र है।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**शासन को समर्पित राशि / अवशेष**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**स्थापना (समर्पित)**	**गैर स्थापना (अवशेष)**
2012-13	-	-	00.94	00.94	-	-	-	-
2013-14	-	-	12.72	12.72	-	-	-	-
2014-15	-	-	14.59	14.59	-	-	-	-
2015-16	-	-	14.00	14.00	-	-	-	-
2016-17	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-
2017-18	-	-	13.77	13.77	-	-	-	-
2018-19	-	-	15.22	15.22	1000.00	1000.00	-	-
2019-20	-	-	00.00	00.00	1800.00	1800.00	-	-
2020-21	-	-	8.76	8.76	420.00	420.00	-	-

गैर स्थापना मद की राशि भूमि प्रतिकर से संबन्धित है जिसका धन आवंटन इस कार्यालय से किया जाता है परंतु व्यय इकाइयो द्वारा किया जाता है ।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत(-) अधिक्य(+)
2017-18	-	-	-	-	-
2018-19					
2019-20					
2020-21					

1. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई की श्रेणी "सी" है।

2. विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव ,उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास विभाग।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी एम जी एस वाई उत्तराखंड।

तकनीकी संवर्ग मे:

(3)मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)(4) मुख्य अभियंता, गड़वाल क्षेत्र,

(5) मुख्य अभियंता, कुमायु हल्द्वानी,(6) अधीक्षण अभियंता,मसूरी

(7) अधिशासी अभियंता (8) साहयक अभियंता

(9) कनिष्ठ अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6) प्रधान सहायक (7) वरिष्ठ सहायक (8) कनिष्ठ सहायक ।

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य अभियंता, पी°एम°जी°एस°वाई°, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2015, 01/2017, 02/2021 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनितकिया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'अ'

प्रस्तरः1 - रू0 51,84,370.42 मूल्य की क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों को बीमा से प्रतिपूर्ति न करके राज्य मद से भुगतान किया जाना एवं रू0 65,41,524.00 मूल्य की क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किया जाना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी Standard biding document 2015 के अनुसार **Insurance 13.1** The Contractor at his cost shall provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the date of completion, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for the following events which are due to the Contractor's risks:

(a) loss of or damage to the Works, Plant and Materials;

(b) loss of or damage to Equipment;

(c) loss of or damage to property (except the Works, Plant, Materials, and Equipment) in connection with the Contract; and

(d) Personal injury or death.

13.2 Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for the Engineer's approval before the Start Date.

13.3 (a) The Contractor at his cost shall also provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the date of completion to the end of Defects Liability Period, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for personal injury or death which are due to the Contractor's risks:

13.3 (b) Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for approval before the completion date/start date.

13.4 Alterations to the terms of insurance shall not be made without the approval of the Employer.

13.5 Both parties shall comply with any conditions of the insurance policies.

कार्यालय **मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड, देहरादून** के प्रतिकर/क्षतिपूर्ति की स्वीकृति से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा निम्नलिखित मार्गो का बीमा नही कराया गया था एवं मार्गो के निर्माण के दौरान मलबे आदि से

क्षतिग्रस्त निजी परिसम्पत्तियों हेतु रू0 1,17,26,894.42 के प्रतिकर की भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जबकि इन क्षतियों को Insurance द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाना चाहिये था। विवरण निम्नलिखित तालिका में अंकित है।

क्र0सं0	मद का नाम	धनराशि
(अ)–जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड नरेन्द्रनगर में हिण्डोलाखाल सोनी (सिरोली) से भैंसर्क मोटर मार्ग स्टेज–I के निर्माण से क्षतिग्रस्त निजी परिसम्पत्तियों का विवरण।		
1.	पिन्तादेवी पत्नी दलीप सिंह एवं नीमा देवी पत्नी चमन सिंह ग्राम भैसर्क के क्षतिग्रस्त भवन/छानी का प्रतिकर	486140.49
2.	जयपाल सिंह पुत्र श्री कृपाल सिंह ग्राम भैसंर्क के क्षतिग्रस्त शौचालय का प्रतिकर	11522.98
3.	नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री दलेब सिंह ग्राम भैसंर्क के क्षतिग्रस्त भवन/छानी का प्रतिकर।	90856.37
4.	राजेन्द्र सिंह नेगी, वीर सिंह नेगी, कुंवर सिंह नेगी, पुत्र श्री जवाहर सिंह नेगी एवं मोहन सिंह नेगी पुत्र स्व0 श्री केदार सिंह नेगी ग्राम भैसंर्क के क्षतिग्रस्त भवन/छानी का प्रतिकर।	1111614.74
5.	मंगल सिंह पुत्र स्व0 केदार सिंह ग्राम भैसंर्क के क्षतिग्रस्त भवन/छानी का प्रतिकर।	591908.62
6.	सुन्दर सिंह, प्यार सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह एवं पदम सिंह, वीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह ग्राम भैसंर्क के क्षतिग्रस्त भवन/छानी का प्रतिकर।	187494.31
	योग	2479537.51
(ब)–निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग हरिद्वार (मुख्यालय कालसी) के अन्तर्गत स्वीकृत काण्डा बैण्ड से काण्डा टियूटाड़ मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त निजी परिसम्पत्तियों का विवरण		
1.	श्री प्रताप सिंह/गौशाला	50154.56
2.	श्री पूरन सिंह/खलियान	8452.00
3.	श्री केशर सिंह/गौशाला	58497.76
4.	श्री केशर सिंह/खलियान	10922.60
5.	श्री बलवीर सिंह/ भूसा स्टोर	77052.00
6.	श्री मदन सिंह/गौशाला	50154.55
7.	श्री मदन सिंह/टैंक	31848.00
8.	श्री बलवीर सिंह/गौशाला	50154.58
9.	श्री कीरत सिंह	58497.86
10.	श्री सोटकू	12099.00
	योग	407832.91
(स)–पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी में बडेथी बनचौरा मोटर मार्ग से जोखणी मोटर माग स्टेज–I के निर्माण में मलवे से क्षतिग्रस्त भूमि, फसल, पेड़ आदि का प्रतिकर		
	उपरोक्त मोटर मार्ग में निजी परिसम्पत्तियों हेतु कुल देय प्रतिकर	3759524.00
(द)–जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में धरासू–चिन्यालीसौड जोगत मोटर मार्ग से जोगत मल्ला मोटर माग स्टेज–I के निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त निजी परिसम्पत्तियो के लिय भुगतान किये गये प्रतिकर का विवरण		
	उपरोक्त मोटर मार्ग में निजी परिसम्पत्तियों हेतु कुल देय प्रतिकर	2782000.00

(य)	नई टिहरी सिंचाई खण्ड II के द्वारा खैराट से भुटगांव मोटर मार्ग स्टेज–I में मार्ग निर्माण से क्षतिग्रस्त छानियां एवं घराट का प्रतिकर	952000.00
(र)	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड पुरोला द्वारा जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी के जखोल लिवाड़ी मोटर मार्ग किमी0 7 में पहाड़ कटान से क्षतिग्रस्त रैनबसेरा का पुर्ननिर्माण कार्य का भुगतान	627000.00
(ल)	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड पुरोला द्वारा जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी के जखोल लिवाड़ी मोटर मार्ग किमी0 8 में पहाड़ कटान से क्षतिग्रस्त शौचालय का पुर्ननिर्माण कार्य	719000.00
	योग (अ) (ब) (स) (द) (य) (र) (ल)	**1,17,26,894.42**

इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्यो से सम्बन्धित इकाईयों द्वारा सड़क निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के लिये रू0 1,17,26,894.42 का भुगतान किया गया जबकि उपरोक्त क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों को बीमा के द्वारा कवर किया जाना चाहिये था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि क्रम संख्या (स) एवं (द) के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून द्वारा प्रदान की गयी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वर्तमान तक इस कार्यालय द्वारा उक्त मोटर मार्गो पर कोई भी ऑथोराईजेशन जारी नही किया गया है जबकि अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि सम्बन्धित पी0आई0यू0 से आख्या प्राप्त होने पर सम्प्रेक्षा दल को अवगत कराया जायेगां

उत्तर मान्य नही था क्योंकि सड़क निर्माण के दौरान उपरोक्त रू0 1,17,26,894.42 मूल्य की सम्पत्तियों की क्षति को बीमा से कवर किया जाना चाहिये था।

अतः रू0 51,84,370.42 मूल्य की क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों को बीमा से कवर न करके राज्य मद से भुगतान किये जाने एवं रू0 65,41,524.00 मूल्य की क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (अ)

प्रस्तर2- ***ठेकेदारो को रु 59.50 लाख का अदेय लाभ पहुचाया जाना।***

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना **दिशानिर्देश** 2015 के प्रस्तर 13.1(iii) के अनुसार पहाडी सडकों हेतु कार्य आदेश जारी करने की तारीख से 18 माह की अवधि के भीतर कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए तथा यदि समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किए जाते हैं तो प्रस्तर 13.1(v) में प्रावधानित किया गया है कि विलम्ब की दशा में ठेकेदार के विरुद्व अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। **साथ ही** स्टैन्डर्ड बिडिंग डोकुमेन्ट के प्रस्तर 44.1 के अनुसार किसी भी अनुबन्ध हेतु समय सीमा का निर्धारण बहुत ही आवश्यक है और यदि ठेकेदार उक्त अवधि में कार्य करने में विफल होता है तो **अनुबंध राशि का 1% प्रति सप्ताह,** अधिकतम 10 *प्रतिशत* तक का परिनिर्धारित नुकसान (एल0डी0) कराधान या चार्ज करना चाहिए। यदि ठेकेदार निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कार्यपूर्ण करने में विफल होता है तो उस अनुबन्ध में शस्ति लगा कर उसे निष्कासित किया जाना चाहिए एवं अवशेष कार्य को किसी अन्य एजेन्सी से करवाया जाना चाहिए।

किन्तु मुख्य अभियंता गढ़वाल क्षेत्र ,पी०एम०जी०एस०वाई०, देहरादून के समयवृद्धि से संबन्धित अभिलेखो की नमूना जांच (03/2021) मे पाया गया कि:-

1. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज**-XII **के अंतर्गत जनपद चमोली मे** पैकेज संख्या 03-28 के अंतर्गत बगोली से सीरी मोटर मार्ग स्टेज-**I&II** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड शासन, देहरादून के पत्रांक: 3378/पी1-26 /यूआरआरडीए/14 दिनांक 05.03.2014 द्वारा रु 512 लाख की प्रदान की गयी। जिस पर मुख्य अभियंता, (स्तर-2) पी०एम०जी०एस०वाई०, देहरादून द्वारा दिनांक 09.07.2014 को रु 512.56 लाख की ही प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी। जिससे संबान्धित अभिलेखो मे पाया गया कि कार्य के निष्पादन हेतु दिनांक 19.02.2015 को मै० जितेन्द्र सिंह **&** कंपनी हरिद्वार के साथ अनुबंध संख्या 30/**SE-** पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰/2014-15 रु 454.52 लाख का गठित किया गया। जिसके अनुसार कार्य दिनांक 19.02.2015 को प्रारम्भ कर दिनांक 18.05.2016 को पूर्ण किया जाना था। किन्तु ठेकेदार द्वारा 05 वर्ष मे भी कार्य पूर्ण नही किया गया। जिसके लिए उसे कुल 1418 दिनो की समयवृद्धि प्रदान की गयी, जिसमे 680 दिन वर्षा एवं बर्फवारी के कारण एवं **738 दिन** का विलंब ठेकेदार के कारण हुआ था। ठेकेदार द्वारा किए गए विलंब के लिए **नियमानुसार** कार्य मे देरी के लिए अनुबंध राशि का 1% प्रति सप्ताह, अधिकतम 10 *प्रतिशत* तक का परिनिर्धारित नुकसान **अर्थात** रु 45.45 लाख[1] ठेकेदार पर **अधिरोपित**/वसूली की जानी चाहिए थी, जबकि **विभाग** द्वारा **ठेकेदार पर अनुबंध राशि की मात्र 1 प्रतिशत एलडी अधिरोपित की गयी थी। जबकि समयवृद्धि से संबन्धित अभिलेखो मे स्पष्ट था कि 1418 दिनो मे से 738**

---

[1]अनुबंध राशि रु 454.52 लाख *1/100=4.52 लाख / सप्ताह * 105 सप्ताह (738 दिन/ 7) = रु 477.24 लाख अर्थात अधिकतम एलडी 10 प्रतिशत = रु **45.45 लाख**

दिन का विलंब ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुआ था जिसे नजरंदाज करते हुए विभाग द्वारा ठेकेदार को **रु 40.91 लाख**[2] का अदेय लाभ पहुॅचाया गया।

इस संबंध में सम्प्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति किए जाने पर ही इस कार्यालय द्वारा ठेकेदार पर कुल 1 प्रतिशत की एल०डी०/अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इस सम्बंध मे अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता से वस्तुस्थिति अवगत कराने हेतु पत्राचार किया जा रहा है। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नही था क्योकि यदि कार्य मे 738 दिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण विलम्ब हुआ था तो नियमानुसार ठेकेदार पर रु 45.45 लाख की एल०डी०/अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना चाहिए था लेकिन विभाग द्वारा मात्र रु 4.54 लाख की एल०डी०/अर्थदण्ड अधिरोपित कर ठेकेदार को रु 40.91 लाख का अदेय लाभ दिया गया जो उचित नही है। साथ ही अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की गयी संस्तुति की उचित जांच कर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना मुख्य अभियन्ता का उत्तरदायित्व है।

2. आगे मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, पी0एम0जी0एस0वाई0, देहरादून के समयवृद्धि से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-XII के अन्तर्गत जनपद पौड़ी में पैकेज संख्या-यू0टी0-08-46 के अंतर्गत जाखणीखाल-अमोला से दावड मोटर मार्ग स्टेज-I&II की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक-3378/पी1-26(XII)/यू0आर0आर0डी0ए0/14 दिनांक-05.03.2014 द्वारा रु0 250.36 लाख की प्रदान की गयी जिस पर मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, पी0एम0जी0एस0वाई0, देहरादून द्वारा दिनांक 19.07.2014 को रु0 249.88 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी। मार्ग से संबन्धित अभिलेखों में पाया गया कि कार्य के निष्पादन हेतु दिनांक 30.08.2014 को श्री सोमपाल सिंह के साथ अनुबंध संख्या- 76/S.E.-PMGSY/2014-15 रु0 203.16 लाख का गठित किया गया, जिसके अनुसार कार्य आरंभ करने की तिथि- 04.08.2014 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 03.08.2015 थी, किन्तु ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य दिनांक 12.06.2017 को पूर्ण किया गया था। जिसके लिए ठेकेदार को दिनांक 12.06.2017 तक समयवृद्धि प्रदान की गयी थी। नियमानुसार उक्त कार्य को समय से पूर्ण न करने के कारण देरी के लिए अनुबंध राशि का 1% प्रति सप्ताह, अधिकतम 10 प्रतिशत तक का परिनिर्धारित नुकसान अर्थात रु0 20.32 लाख[3] ठेकेदार पर अधिरोपित/ वसूली की जानी चाहिये थी जबकि विभाग द्वारा ठेकेदार पर अनुबंध राशि का मात्र 0.85% एल0डी0 (रु0 1.73 लाख)[4] अधिरोपित की गयी। समयवृद्धि से संबन्धित अभिलेखों से स्पष्ट था कि कुल 166 दिन का विलंब ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुआ था जिसे नजरंदाज करते हुए विभाग द्वारा ठेकेदार को रु0 18.59 लाख[5] का अदेय लाभ पहुंचाया गया।

---

[2]रु 45.45 लाख (नियमानुसार अधिरोपित की जानी वाली राशि) - रु 4.54 लाख (अधिरोपित की गयी) = **रु 40.91 लाख (कम अधिरोपित राशि)**

[3]अनुबंध राशि रु0 203.16 लाख*1/100= 2.03 लाख/ सप्ताह* 23 सप्ताह (166/7)= 46.69 लाख अर्थात अधिकतम एल0डी0 10 प्रतिशत= 20.32 लाख

[4]अनुबंध राशि रु0 203.16 लाख*0.85/100= 1.73 लाख

[5]रु0 20.32 लाख- रु0 1.73 लाख= रु0 18.59 लाख

इस संबंध में सम्प्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि ठेकेदार द्वारा कार्य में विलंब किए जाने के कारण ही इकाई द्वारा ठेकेदार पर कुल 0.85 प्रतिशत की एल०डी०/अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नही था क्योकि यदि कार्य मे 166 दिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण विलम्ब हुआ था तो नियमानुसार ठेकेदार पर रु 20.32 लाख की एल०डी०/अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना चाहिए था लेकिन विभाग द्वारा मात्र रु 1.73 लाख की एल०डी०/अर्थदण्ड अधिरोपित कर ठेकेदार को रु 18.59 लाख का अदेय लाभ दिया गया जो उचित नही है।

अंत: उक्त ठेकेदारो को रु 59.50 लाख[6] का अदेय लाभ पहुंचाये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

[6]रु 59.50 लाख = 40.91 लाख (अनुबंध सं30/SE/Pmgsy/2014-15) +18.59 लाख (अनुबंध सं 30/SE/Pmgsy/2014-15)

भाग दो (ब)

प्रस्तर–1: रु 35.12 लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि को राजकोष मे जमा न किया जाना।

लेखाशीर्षक की पुस्तिका व शासकीय आदेशो के अनुसार सभी ब्याज प्राप्तिया लेखाशीर्षक 0049 मे यथाशीघ्र जमा की जानी चाहिए जब तक वित्त विभाग उत्तराखंड शासन के पृथक से कोई आदेश प्राप्त न हो साथ ही उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 99/xxvii/(14)2000 दिनांक 03-9-2009 के निर्देशानुसार यदि किसी कारणो से समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपयोग न हुआ हो ओर उस पर ब्याज अर्जित हो तो उसे राजकोष के 0049 ब्याज प्राप्तिया लेखाशीर्ष मे जमा किया जाये ।

कार्यालय मुख्य अभियंता (गढ़वाल क्षेत्र) पीएमजीएसवाई, देहरादून की लेखापरीक्षा (03/2021) मे पाया गया कि कार्यालय द्वारा भूमि प्रतिकर से संबन्धित बैंक अकाउंट संख्या 37530559278 का संधारण किया जा रहा था जिसमे विगत 03 वर्षो मे अर्जित ब्याज की राशि रु 35.12 लाख को 0049 लेखाशीर्ष मे जमा न कर, अवरुद्ध किया जा रहा था साथ ही इस संबंध मे शासन को भी अवगत नही कराया गया था। इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि यू॰आर॰डी॰डी॰ए॰ से पत्राचार कर ब्याज की राशि यथाशीघ्र जमा करा दी जाएगी। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि ब्याज की राशि वित्तीय नियमो के अनुसार लेखाशीर्ष 0049 मे जमा की जानी चाहिए जब तक इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जगह उपयोग करने के लिए वित्त विभाग के आदेश पृथक से उपलब्ध न हो ।

अतः रु 35.12 लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि को 0049 लेखाशीर्ष मे जमा नहीं करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर – 2: समय से कार्य पूर्ण न करने पर नियमानुसार एल0डी0 अधिरोपित न कर ठेकेदार को रु0 28.17 लाख का अदेय लाभ पहुंचाना।

प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना दिशानिर्देश 2015 के प्रस्तर 13.1(iii) के अनुसार पहाड़ी सड़कों हेतु कार्यादेश जारी करने की तारीख से 18 माह की अवधि के भीतर कार्य पूर्ण किया जाना चाहिये तथा यदि समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किए जाते हैं तो प्रस्तर 13.1(v) में प्रावधानित किया गया है कि विलंब की दशा में ठेकेदार के विरुद्ध अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिये। साथ ही स्टैन्डर्ड बिडिंग डॉक्युमेंट के प्रस्तर 44.1 के अनुसार किसी भी अनुबन्ध हेतु समय सीमा का निर्धारण बहुत ही आवश्यक है और यदि ठेकेदार उक्त अवधि में कार्य करने में विफल होता है तो अनुबन्ध राशि का 1% प्रति सप्ताह, अधिकतम 10 प्रतिशत तक का परिनिर्धारित नुकसान (एल0डी0) कराधान या चार्ज करना चाहिये। यदि ठेकेदार निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करने में विफल होता है तो उस अनुबन्ध में शास्ति लगाकर उसे निष्कासित किया जाना चाहिये एवं अवशेष कार्य को किसी अन्य एजेंसी से करवाया जाना चाहिये।

मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, पी0एम0जी0एस0वाई0, देहरादून के समयवृद्धि से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-XVI के अन्तर्गत जनपद पौड़ी में पैकेज संख्या-यू0टी0-08-56 के अंतर्गत कौधार से कलून मोटर मार्ग स्टेज-II की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक- 329/पी1-34(Phase XVI)/यू0आर0आर0डी0ए0/18 दिनांक-14.05.2018 द्वारा रु0 335.15 लाख की प्रदान की गयी जिस पर मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, पी0एम0जी0एस0वाई0, देहरादून द्वारा दिनांक 18.08.2018 को रु0 333.71 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी। मार्ग से संबन्धित अभिलेखों में पाया गया कि कार्य के निष्पादन हेतु दिनांक 01.11.2018 को मैसर्स आर्या कन्सट्रकशंस के साथ अनुबंध संख्या-102/XVI/C.E.-URRDA/2018-19 रु0 281.73 लाख का गठित किया गया, जिसके अनुसार कार्य आरंभ करने की तिथि- 08.11.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 05.08.2019 थी, किन्तु ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य दिनांक 01.07.2020 को पूर्ण किया गया है। विभाग द्वारा ठेकेदार को उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु 3 बार (अंतिम बार दिनांक- 01.07.2020 तक) बिना अर्थदण्ड समयवृद्धि प्रदान की गयी है। ठेकेदार द्वारा कार्य समय से पूर्ण न करने एवं समयवृद्धि हेतु आवेदन में दिये गए कारण निम्नवत हैं:-

i. माह 09/2018 (अनुबंध गठित होने से 2 माह पहले) में बादल फटने से मार्ग क्षतिग्रस्त होना (05.01.2019 से 31.01.2019= कुल 26 दिन)

ii. ग्रामवासियों द्वारा मुआवजा वितरित किए जाने हेतु कार्य बाधित किया जाना- 10.02.19 से 05.03.19 (कुल 23 दिन)

iii. मानसून काल- 25.06.19 से 10.09.19 (कुल 77 दिन)

iv. वर्षा काल- 19.09.19 से 05.12.19 (कुल 76 दिन)

v. बर्फ/बारिश/पाले के कारण PC कार्य में व्यवधान- 07.12.19 से 15.01.2020 (कुल 38 दिन)

vi. State Lockdown- 22.03.2020 से 25.03.2020 (कुल 04 दिन)

vii. Weather not suitable for PC work- 10.12.19 से 31.03.20 (कुल 107 दिन)

उक्तानुसार चूंकि बादल फटने की घटना अनुबंध गठन की तिथि से 2 माह पूर्व की है इसलिए समय वृद्धि प्रदान करने हेतु उक्त कारण मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंध गठन के बाद की किसी अप्रत्याशित घटना के कारण हुए विलंब हेतु ही समयवृद्धि पर विचार किया जा सकता था। आगे, मानसून काल/ वर्षाकाल (25.06.19 से 10.09.19 एवं 19.09.19 से 05.12.19) प्रतिवर्ष की सामान्य मौसमी घटना होने के कारण समयवृद्धि हेतु मान्य नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्य पूर्ण करने हेतु कुल 179 दिन (26+77+76 दिन) की समयवृद्धि बिना किसी उपयुक्त कारण के ठेकेदार को प्रदान की गयी है जिसके कारण ठेकेदार पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति/ एल0डी0 अधिरोपित न कर रु0 28.17 लाख का अदेय लाभ दिया गया है।

इस संबंध में सम्प्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर समयवृद्धि दी गयी है। इस सम्बंध मे जांच कर अवगत करा दिया जाएगा। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि बादल फटने की घटना अनुबंध गठन की तिथि से 2 माह पूर्व की है मानसून काल/ वर्षाकाल प्रतिवर्ष की सामान्य मौसमी घटना होने के कारण समयवृद्धि दिया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार कार्य पूर्ण करने हेतु कुल 179 दिन (26+77+76 दिन) की समयवृद्धि बिना किसी उपयुक्त कारण के ठेकेदार को प्रदान की गयी है जिसके कारण ठेकेदार पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति/ एल0डी0 अधिरोपित न कर, रु0 28.17 लाख का अदेय लाभ दिया गया है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण ।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी ।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी ।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य अभियंता, पी°एम°जी°एस°वाई°, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(1)	श्री आर पी सिंह	मुख्य अभियंता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य अभियंता, पी°एम°जी°एस°वाई°, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार ए एम जी-2 को प्रेषित की जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (N-PSU)